

विधान सभा कार्य  
परम अग्रता

विधान सभा - 11  
डायरी क्रमांक 456  
दिनांक 27/8/15

4265  
25/8/15

1861  
24/8/15

क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)

दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015

विषय:- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना ।


-:-:-

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की और दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 सितम्बर, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घाओं में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए ।

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/ विभागाध्यक्ष किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही तथा अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें ।

भवदीय,


  
अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015.

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

  
अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

जारी....2


D.A.  
25/8/15


JD (A) (Communication)  
25/8/15

24/8/15  
PSL/A

27/9/2015  
B-II

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

  
अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।  


सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 2015.